

Annexure - E
मुनुबन्ध-८

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

संख्या: एस.जे.इ. (ए) 10-2 / 2006

दिनांक: 29 मई, 2009

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश मदर टरेसा मातृ अस्फाय सम्बल योजना नियम, 2006 जो कि अधिसूचना संख्या एस.जे.इ. (ए) 10-2 / 2006, दिनांक: 16.10.2006 द्वारा जारी किये गये हैं, के स्थान पर, 'हिमाचल प्रदेश मदर टरेसा अस्फाय मातृ सम्बल योजना (संशोधित), 2009(अनुबन्ध-क)' बनाने के संहर्ष आदेश दर्ते हैं।

2. यह योजना अधिसूचना के जारी होने की तिथि से लागू होगी।

-आदेश द्वारा

प्रधान सचिव
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन: संख्या यथोपरि

दिनांक: 29 मई, 2009

1. सायिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2
2. निजि सचिव, मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2
3. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश।
4. निजि सचिव, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2
5. समस्त ज़िलाधीश, हिमाचल प्रदेश।
6. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शिमला-9
7. नियन्त्राक, हिमाचल प्रदेश लेखन एवं सामग्री को राजपत्रा में प्रकाशित करने हेतु।
8. संरक्षक नस्ति।

Umar
अवर सचिव
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना (संशोधित) 2009

१. शीर्ष:-

यह योजना हिमाचल प्रदेश मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना (संशोधित) 2009 कहलाएगी।

२. विस्तार तथा प्रारम्भ:-

यह योजना अधिसूचना जारी की तिथि से सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश में लागू होगी।

३. लद्दाक्षय:-

इस योजना का मुख्य लद्दाक्षय निःसहाय महिलाओं या अनाथ बच्चों के अभिभावकों को उनके बच्चों के पालन पोषण हेतु वित्तीय सहायता सप्लाई करवाना है।

४. परिभाषा:-

४.१ “निःसहाय महिला” से अभिप्राय :-

४.१.१ ऐसी महिला जिसके पति की मृत्यु हो चुकी हो तथा पुनर्विवाह नहीं किया हो।

४.१.२ ऐसी महिला जिसके पति ने उसे त्याग दिया हो।

४.१.३ ऐसी महिला जिसका तलाक न्यायालय में या खानगी पंचायत में हो चुका हो।

४.१.४ ऐसी महिला जिसका पति पिछले दो वर्षों से लापता हो और सम्बन्धित पुलिस थाना में उसके न मिलने की रिपोर्ट हो।

४.१.५ ऐसी बेसहारा महिला जिसकी देखरेख करने वाला डोई न हो।

४.२ “अनाथ” से अभिप्राय ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो।

४.३ “लाभार्थी” से अभिप्राय निःसहाय महिला तथा अनाथ बच्चों के संरक्षक से होगा।

४.४ “गरीबी रंगां से नीचे रह रहे परिवार” से अभिप्राय हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग/शहरी विकास विभाग द्वारा चयनित गरीब परिवारों के सदस्य से हैं।

४.५ “सरकार” से अभिप्राय हिमाचल प्रदेश सरकार से है।

४.६ “निदेशक” से अभिप्राय हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक से है।

४.७ “लपायुक्त” से अभिप्राय जिला के लपायुक्त से है।

- 4.8 "जिला कल्याण अधिकारी" से अभिप्राय सम्बन्धित जिला के जिला कल्याण अधिकारी से है।
- 4.9 "तहसील कल्याण अधिकारी" से अभिप्राय सम्बन्धित तहसील के तहसील कल्याण अधिकारी से है।
- 4.10 "अनुबन्ध" का अभिप्राय इस योजना के साथ संलग्न अनुबन्धों से है।

5 पात्रता:-

- 5.1 इस योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवास करने वाली निःसहाय महिलाएं वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
 - 5.1.1 ग्रामीण विकास विभाग/शहरी विकास विभाग द्वारा चयनित गरीबी रेखा से नीचे रह रही निःसहाय महिलाएं या ऐसी निःसहाय महिलायें जिनकी वार्षिक आय 18000/- रु से अधिक न हो।
 - 5.1.2 ग्रामीण विकास विभाग/शहरी विकास विभाग द्वारा चयनित गरीबी रेखा से नीचे रह रहे ऐसे अनाथ बच्चों के अभिभावक या ऐसे अनाथ बच्चों के अभिभावक जिनकी वार्षिक आय 18000/- रु से अधिक न हो।

6 बशर्ते:-

जिनके बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के हों तथा जिन्हे विभाग/स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित बाल/बालिका आश्रमों में निःशुल्क सुविधाएं न प्राप्त कर रहे हों।

निःसहाय महिलाएं तथा अनाथ बच्चों के अभिभावक जो सामाजिक सुरक्षा पैशान जैसे: वृद्धावस्था पैशान, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैशान, विधवा पैशान, विकलांगता राहत भत्ता तथा कुष्ठ रोगी पुर्नवास भत्ता या किसी न्यायलय द्वारा निर्धारित भरण-पोषण भत्ता प्राप्त कर रहे हों, भी इस योजना के लाभ के पात्र होंगे बशर्ते कि वह योजना के क्रमांक 5 में निर्धारित पात्रता शर्तों को पूर्ण करते हों।

7 सहायता:-

- 7.1 निःसहाय महिला/अभिभावक को 2,000/- रुपये प्रति बच्चा प्रति वर्ष वित्तीय सहायता दो बच्चों तक राशि दी जायेगी।
- 7.2 सहायता राशि बच्चे की 18 वर्ष आयु पूर्ण होने तक दी जायेगी।

8 सहायता प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया:-

- 8.1 सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन निर्धारित प्रार्थना पत्र प्रपत्र अनुबन्ध-1 पर सम्बन्धित चाचायत/शहरी निकाय को प्रस्तुत करना होगा। प्रार्थना पत्र तहसील कल्याण अधिकारी/जिला

कल्याण अधिकारी/निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/जिलाधीश कार्यालय/
पंचायतों/शहरी निकाय/आंगनवाड़ी केन्द्र में मुफ्त तथा विभागीय वैबसाईट
www.himachal.nic.in/welfare पर उपलब्ध होंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित पंचायत अपनी ग्राम सभा की बैठक में योजना के क्रमांक-5 में निर्धारित पात्रता अनुसार प्राप्त प्रार्थना पत्रों का अनुमोदन योजना प्राथमिकता के आधार पर सूचियाँ/प्रस्ताव तथा पूर्ण प्रार्थना-पत्रों को सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी को भेजेगी। ग्राम प्रस्ताव तथा पूर्ण प्रार्थना-पत्रों की पारिवारिक स्थिति, वित्तीय स्थिति, आयु तथा बच्चों की आयु को मध्यनजर रखते हुए प्राथमिकता सूची तैयार करेगी।

ग्राम सभाओं की बैठकों के अन्तराल में प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्रों को ग्राम पंचायत अपनी बैठक में क्रमांक-5 में निर्धारित पात्रता के आधार पर सूचियाँ अनुमोदित करके प्रस्ताव सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी को भेजेगें, लेकिन ऐसी सूचियों को सम्बन्धित पंचायत द्वारा ग्राम सभा से कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

शहरी क्षेत्रों में सम्बन्धित शहरी निकाय अपनी बैठक में योजना के क्रमांक-5 में निर्धारित पात्रता अनुसार प्राप्त प्रार्थना पत्रों का अनुमोदन योजना प्राथमिकता के आधार पर सूचियाँ/प्रस्ताव तथा पूर्ण प्रार्थना-पत्रों को सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी को भेजेगी। शहरी निकाय प्रार्थी की पारिवारिक स्थिति, वित्तीय स्थिति, आयु तथा बच्चों की आयु को मध्यनजर रखते हुए प्राथमिकता सूची तैयार करेगी।

5 सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी ग्राम सभाओं/शहरी निकायों द्वारा अनुमोदित प्रार्थना पत्रों को 10 दिन के भीतर छानबीन करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रार्थना पत्र में समस्त निर्धारित प्रपत्र पूर्ण हो तथा :-

8.5.1 प्रार्थी के नाम यदि उसके घर के नजदीक बैंक/डाकघर में बचत खाता खुला हो तथा प्रार्थना-पत्र में शाखा का नाम तथा बचत खाता संख्या का विवरण सही हो।

8.5.2 प्रार्थी तथा उसके आश्रित बच्चों की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र पंचायत सचिव/शहरी निकायों में कार्यकारी अधिकारी/सचिव द्वारा निर्धारित प्रार्थना-पत्र के पृष्ठ 3 पर जारी किया गया हो या स्कूल से जारी जन्म तिथि प्रमाण-पत्र या जहां बच्चा पैदा हुआ हो, उस पंचायत/शहरी निकाय

- द्वारा जारी किया जन्म तिथि प्रमाण—पत्र के आधार पर प्रार्थना—पत्र में निर्धारित प्रपत्र प्रमा-
- सकते हैं।
- 8.5.3 प्रार्थी का गरीबी रेखा से नीचे रह रहे चयनित परिवार का प्रमाण पत्र जिसमें सर्वेक्षण की क्रमांक संख्या दी गई हो, पंचायत सचिव/शहरी निकायों में कार्यकारी अधिकारी/सचिव से जारी किया गया हो।
- 8.5.4 विधवा महिला, पति द्वारा त्यागी गई महिलाएं या तलाकशुदा महिला ऐसी महिलाएं जिनका तलाक सम्बन्धित थाना से उनके न मिलने की रिपोर्ट हो तथा अविवाहित वैसहारा महिला जिसकी देखरेख करने वाला कोई न हो, का प्रमाण पांच रूपये के स्टैम्प पैपर पर व्यान हल्फीया के रूप में देना होगा जो कार्यकारी मैजिस्ट्रेट से सत्यापित हो।
- 8.5.5 अनाथ बच्चों की स्थिति में अभिभावक तथा बच्चों की आयु तथा बच्चों के माता—पिता की मृत्यु की तिथि का प्रमाण—पत्र सम्बन्धित पंचायत सचिव/शहरी निकायों में कार्यकारी अधिकारी/सचिव से प्रमाणित निर्धारित प्रार्थना—पत्र के पृष्ठ 3 पर जारी किया गया हो।
- 8.5.6 अनाथ बच्चों की देखरेख करने की स्थिति में अभिभावक को पंचायत/शहरी निकाय से प्रमाण—पत्र जारी हो तथा अनाथ बच्चों की देख रेख करने वारे अभिभावक को पांच रूपये के स्टैम्प पैपर पर व्यान हल्फीया देना होगा जो कार्यकारी मैजिस्ट्रेट से सत्यापित हो।
- 8.5.7 योजना के क्रमांक 5.1.1 तथा 5.1.2 की श्रेणी के प्रार्थियों के प्रार्थना—पत्रों के साथ प्रार्थी की सम्पूर्ण साधनों से वार्षिक आय प्रमाण—पत्र कार्यकारी मैजिस्ट्रेट से जारी किया गया हो।
- 8.5.8 पूर्ण प्रार्थना—पत्रों के पृष्ठ 4 पर तहसील कल्याण अधिकारी अपनी जांच रिपोर्ट प्रमाणित करके कार्यालय में एक रजिस्टर निर्धारित प्रपत्र अनुबन्ध-2 पर दर्ज करेंगे तथा सूचि सहित जिला कल्याण अधिकारी को भेजेंगे। जिन प्रार्थना—पत्रों में औपचारिकताएं पूर्ण नहीं होंगी उन्हें सम्बन्धित पंचायत/शहरी निकाय को वापिस भेजा जाएगा।
- 8.5.9 सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी से प्राप्त प्रार्थना पत्रों का विशलेषण जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रार्थना—पत्र में सभी औपचारिकताएं पूर्ण हो। पूर्ण प्रार्थना—पत्रों की प्रतीक्षा सूचि पंचायतों/शहरी निकायों वार निर्धारित

प्रपत्र अनुबन्ध-3 पर कम्पयूटर पर तैयार की जाएगी तथा उनकी एक प्रति अलग नस्ति में रखी जाएगी। अधूरे प्रार्थना पत्र तहसील कल्याण अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर लौटा दिये जायेंगे।

- 8.5.10 जिला कल्याण अधिकारी से प्राप्त अधूरे प्रार्थना पत्रों को सम्बन्धित तहसील कल्याण आधिकारी द्वारा पत्र प्रति के एक सप्ताह के भीतर प्रार्थी को औपचारिकताएँ पूर्ण करने हेतु लौटाने होंगे।
9. सहायता स्वीकृति करने की प्रक्रिया :-
- 9.1 योजना के अन्तर्गत सहायता राशि स्वीकृत करने के लिए निम्नलिखित अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में सक्षम होंगे:-
- 9.1.1 सम्बन्धित उपायुक्त
 - 9.1.2 उपमण्डल पांगी में स्थानीय आयुक्त
 - 9.1.3 उपमण्डल भरमौर में अतिरिक्त दण्डाधिकारी,
 - 9.1.4 उपमण्डल रिप्टि में अतिरिक्त उपायुक्त
 - 9.1.5 उपमण्डल डोडरा—क्वार में उप—मण्डल अधिकारी(ना)
- 9.2 सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी तथा पांगी, भरमौर, रिप्टि, डोडरा—क्वार में सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी बजट की उपलब्धता तथा निर्धारित भौतिक लक्ष्यों अनुसार पंचायत बार तैयार की गई प्रतीक्षा सूचि में से प्रार्थना—पत्र की प्राप्ति की तिथि तथा समस्त पंचायतों/शहरी निकायों की जनसंख्या के अनुपात में मामले स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किये जाएंगे। स्वीकृति आदेश के साथ लाभार्थियों की सूचि निर्धारित प्रपत्र अनुबन्ध-4 पर प्रस्तुत की जाएगी।
- 9.3 मृत/अपात्र लाभार्थियों के स्थान पर प्रतीक्षा सूचि में से लम्बित प्रार्थना—पत्रों का स्थानापन्न उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा।
- 9.4 स्वीकृति आदेश की प्रतियां महालेखाकार हिमाचल प्रदेश, निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी/जिला कोषाधिकारी को पृष्ठांकित की जायेगी।

- 9.5 सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी स्वीकृति आदेश की प्राप्ति तिथि के एक सप्ताह के में स्वीकृत मामलों की सूचि सम्बन्धित पंचायत/शहरी निकाय को सूचनार्थ भेजेंगे तथा स्वीकृत मामलों का विवरण निर्धारित प्रपत्र अनुबन्ध 5 पर दर्ज करेंगे।
- 9.6 लगातार मामलों में वित्तीय स्वीकृति जारी करने के लिए सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी, तहसील कल्याण अधिकारी पांगी, भरमौर, डोडरा क्षार अपने – अपने कार्यक्षेत्र में सक्षम होंगे।
10. सहायता राशि का वितरण:-
- 10.1 सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी, तहसील कल्याण अधिकारी पांगी, भरमौर स्थिति, डोडरा—क्षार अपने कार्यक्षेत्र के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी होंगे।
- 10.2 स्वीकृति आदेश की प्राप्ति पर आहरण एवं वितरण अधिकारी स्वीकृत लाभार्थियों को तहसील वार व्यक्तिगत खाता संख्या आंबटित करके लाभार्थी का पूर्ण विवरण व्यक्तिगत लैजर में निर्धारित प्रपत्र अनुबन्ध-5 में दर्ज करवायेंगे।
- 10.3 लाभार्थियों को सहायता राशि का भुगतान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो बार माह अप्रैल तथा अक्टूबर में अग्रिम रूप में उनके डाकघर/बैंक में बचत खातों के माध्यम से किया जाएगा।
- 10.4 सहायता राशि का भुगतान लाभार्थी को डाकघर/बैंक के साथ समन्वय करके किया जाएगा ताकि लाभार्थी के बचत खाता में सहायता राशि जमा होने पर कोई भी शुल्क बैंक/डाकघर द्वारा न काटे जाए। सम्बन्धित बैंक/डाकघर में राशि जमा करने पर काउन्टर फायल रिकार्ड हेतु प्राप्त की जाएगी तथा राशि भेजते समय विभिन्न बैंकों/डाकघर से किए गए पत्राचार की प्रति सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारियों को भी भेजी जाएगी।
- 10.5 लाभार्थी को राशि अदा करने पर राशि की पावती नहीं ली जाएगी बल्कि वित्तीय वर्ष के अन्त तक बैंक/डाकघर शाखाओं जिसमें लाभार्थी की सहायता राशि जमा की गई है से समन्वय करके जमा की गई राशि का समायोजन किया जाएगा तथा सम्बन्धित बैंक/डाकघर शाखा से यह प्रमाण—पत्र प्राप्त किया जाएगा कि दोनों छ: माहों में भेजी गई कुल राशि लाभार्थियों के बचत खाते में जमा हो चुकी है। सम्बन्धित बैंक/डाकघर शाखाओं से समन्वय सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा किया जाएगा तथा बैंक/डाकघर से प्राप्त किए गए प्रमाण—पत्र सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी को रिकार्ड हेतु भेजे जाएंगे।

सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी लाभार्थियों के हित में Live Certificate सम्बन्धित

पंचायत से वर्ष में एक बार प्राप्त करेंगे तथा यह प्रमाण—पत्र 31 अगस्त तक प्राप्त किये जाने होंगे।

लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में सूचना सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी को तुरन्त भेजनी

होगी।

10.7 छ: माह के अन्त में राशि वितरण के तुरन्त पश्चात जिला कल्याण अधिकारी अपने जिला की
भौतिक/वित्तीय उपलब्धियों की रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र अनुबन्ध—6 पर निदेशक को भेजेंगे।

11 सहायता राशि बन्द करने की प्रक्रिया:-

11.1 सहायता राशि का भुगतान लाभार्थी के बच्चों की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पर तुरन्त बन्द कर दी
जायेगी।

11.2 समय—समय पर जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी अपने प्रवास के दौरान
लाभार्थियों की पात्रता बारे पुनर्निरीक्षण करते रहेंगे तथा अपात्र होने की दशा में सहायता राशि बन्द
करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

11.3 सम्बन्धित पंचायत/शहरी निकायों द्वारा प्रत्येक त्रैमास में ग्राम सभा/सामान्य सभा की बैठक में
लाभार्थियों की सूचियों की जांच करेंगे तथा अपात्र लाभार्थियों की पहचान करके सहायता राशि को
बन्द करने की सिफारिश सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी को भेजी जाएगी जो इन रिपोर्ट की
जांच करके टिप्पणी सहित पूर्ण अपात्र मामले जिला कल्याण अधिकारी को भेजेंगे। सम्बन्धित
जिला कल्याण अधिकारी ऐसे मामलों में सहायता राशि तुरन्त बन्द करने तथा उनके स्थान पर
लम्बित मामलों के स्थानापन के लिए आदेश क्रमांक 9.1 अनुसार सक्षम अधिकारी से प्राप्त करेंगे।

12. लम्बित मामलों की रिपोर्ट:-

जिला कल्याण अधिकारी प्रत्येक छ: माह की समाप्ती पर लम्बित मामलों की रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र
अनुबन्ध—7 पर निदेशक को भेजेंगे।

13. योजना में संशोधन:-

13.1 योजना के सुचारू संचालन हेतु वर्तमान प्रावधानों में संशोधन सरकार द्वारा समय—समय पर
किया जाता रहेगा।

13.2 योजना के सुचारू कार्यनवयन हेतु आवश्यकता अनुसार कम्प्युटरीकरण किया जाएगा । तथा योजना मे निर्धारित अनुबन्धों मे संशोधन तथा योजना के कार्यनवयन समय—समय पर कार्यकारी निर्देश देने के लिए निदेशक सक्षम होगे ।

14. लेखाशीर्ष :-

हिमाचल प्रदेश भवर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना के अन्तर्गत होने वाला व्यय लेखाशीर्ष 2235—सामाजिक सुरक्षा एवम कल्याण—02—समाज कल्याण—103—महिला कल्याण—01—(सूस) (योजना) के अन्तर्गत अथवा सरकार द्वारा समय—समय पर महालेखाकार की सहमति से किये गए संशोधित लेखाशीर्ष में प्रावधित बजट में से किया जायेगा ।

15. लेखो के आडिट

योजना के संचालन का पूर्ण रिकार्ड जिला कल्याण अधिकारी द्वारा रखा जाएगा तथा योजना का आडिट महालेखाकार (लेखा) हिमाचल प्रदेश के कार्यालय के द्वारा किया जायेगा ।

हिमाचल प्रदेश सरकार
 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
 हिमाचल प्रदेश मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना (संशोधित) 2009
 के लिए प्रार्थना पत्र

(1) प्रार्थी का नाम:

प्रार्थी का फोटो ग्राफ़
 (तहसील कल्याण
 अधिकारी द्वारा सत्यापित)

(2) जाति:

(3) जन्म तिथि:

(4) पिता /पति का नाम:

(5) माता-पिता/पति में कौन जीवित है:

(6) अनाथ बच्चों के मामले में अभिभावक का नाम

(7) प्रार्थी का स्थाई पता:

गांव _____

डा० _____

पिन कोड _____

पंचायत _____

तहसील _____

जिला _____

(8) वर्तमान पता : गांव _____

डा० _____

पिन कोड _____

पंचायत _____

तहसील _____

जिला _____

(9) प्रार्थी के 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की सूची

क०सं०

नाम

जन्म तिथि

कक्षा जिसमें पढ़ रहा है

- (10) प्रार्थी का वर्तमान व्यवसायः
- (11) प्रार्थी की शैक्षणिक योग्यता
- (12) क्या प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई सहायता/पैन्शन इत्यादि सरकार से मिलती है
यदि हां तो
कुल मासिक राशि
विभाग का नाम
- (13) प्रार्थी के नाम बैंक/डाकघर में बचत खाते का विवरणः—
- (1) शाखा का नाम जहां बचत खाता खुला है:
 - (2) बचत खाता संख्या:

दिनांक :-

प्रार्थी के हस्ताक्षर/ अंगुठे का निशान

मैं _____ घोषणा
 गंव _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री _____
 डाठ _____ तहसील _____
 जिला _____ सत्यानिष्ठा लेकर अपने ज्ञान अनुसार यह घोषणा करती/करता हूं कि उक्त
 विवरण तथा तथ्य पूर्णतः सही है। इनमें कोई ऐसा तथ्य असत्य नहीं है और न ही इसमें कोई भी तथ्य छुपाया
 गया है। सहायता राशि स्वीकृत होने पर राशि मेरे बचत खाता संख्या _____
 जो _____ बैंक/ डाकघर में खुला है मे जमा की जाए। *

प्रार्थी के हस्ताक्षर/ अंगुठे का निशान
 प्रार्थना—पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जाएः—

1. प्रार्थना—पत्र के पृष्ठ 3 पर सम्बन्धित पंचायत/शहरी निकाय से प्रमाण—पत्र जारी हो।
2. गैर बी0पी0एल0 परिवारों से सम्बन्धित प्रार्थी का वार्षिक आय प्रमाण—पत्र जो कार्यकारी मैजिस्ट्रेट से
जारी हो।
3. निःसहाय महिला होने/अनाथ बच्चों के अभिभावक होने के बारे पांच रूपये के स्टाम्प पेपर पर व्यान
हल्किया जो कार्यकारी मैजिस्ट्रेट से सत्यापित हो।

* यदि प्रार्थी के नाम बचत खाता बैंक/डाकघर में खुला नहीं हो तो इसी प्रकार की वचन बद्धता सहायता राशि
स्वीकृत करने के उपरान्त प्राप्त करनी होगी।

हिमाचल प्रदेश मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना (संशोधित) 2009

प्रमाण पत्र

नागित किया जाता है कि

1. श्री/श्रीमती _____ पत्नी/पुत्री/श्री _____ ग्राम _____ डा० _____
 तहसील _____ जिला _____ हिंप्र० का स्थाई
 निवासी है।
2. श्री/ श्रीमती _____ की जन्म तिथि पंचायत/शहरी निकाय रिकार्ड अनुसार _____
 (शब्दों में _____) है।

निःसहाय महिलाओं के मामले में *

3. 1 श्रीमती _____ के 18 वर्ष से कम आयु के आश्रित बच्चों के नाम के सम्मुख दर्शाई गई जन्म तिथि पंचायत/शहरी निकाय के रिकार्ड अनुसार प्रमाणित की जाती है :-

क०सं०	बच्चे का नाम	बच्चे की जन्म तिथि

अनाथ बच्चों के मामले में *

3. 2 श्री/श्रीमती _____ निन्नलिखित बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी हैं तथा वर्तमान में इन बच्चों का अभिभावक के रूप में पालन-पोषण कर रहे हैं, रिकार्ड अनुसार जन्म तिथि तथा उनके माता-पिता की मृत्यु की तिथि उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई है, :-

क०सं०	बच्चे का नाम	बच्चे की जन्म तिथि	बच्चे के माता-पिता की मृत्यु की तिथि

4. श्रीमती _____ हिंप्र० ग्रामीण विकास विभाग/शहरी विकास विभाग द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के सर्वेक्षण अनुसार कमाक _____ जिला _____ के चयनित परिवार का सदस्य है।

हस्ताक्षर

पंचायत सचिव/सचिव/कार्यकारी अधिकारी

ग्राम पंचायत/शहरी निकाय _____

(मोहर सहित)

नोट:- * जो लागू न हो उसे काट दें।

सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी की सत्यापन रिपोर्टः—

प्रमाणित किया जाता है कि

श्री/ श्रीमती _____ पुत्र/पुत्री _____ ग्राम _____
डाउ _____ तहसील _____ जिला _____
हिं0प्र० के द्वारा प्रार्थना पत्र में दिये गये पूर्ण तथ्यों की जांच की गई तथा सही पाया गया। अतः प्रार्थी को हिमाचल प्रदेश मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना (संशोधित) 2009 के अन्तर्गत सहायता राशि स्वीकृत करने की सिफारिश की जाती है।

दिनांक:—

इस्ताक्षर
तहसील कल्याण अधिकारी
(मोहर सहित)

अनुबन्ध-2

हिमाचल प्रदेश मंदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना (संशोधित) 2009

कार्यालय : तहसील कल्याण अधिकारी जिला

प्रार्थना-पत्र रजिस्टर

ग्राम पंचायत/ शहरी निकाय का नाम	पंचायत/ शहरी निकाय का प्रस्ताव संख्या/ तिथि	कं ० सं०	प्रार्थी का नाम व पता	प्रार्थी की जन्म तिथि	प्रार्थी के 18 वर्ष से कम आयु के आश्रित बच्चों के नाम व जन्म तिथि	सहायता राशि की स्वीकृति के आदेश संख्या/ दिनांक	7	
1	2	3	4	5	6	नाम	जन्म तिथि	

अनु०

हिमाचल प्रदेश मदर टेरेसा अस्फाय मातृ सम्बल योजना (संशोधित) 2009

प्रतीक्षा सूचि

ग्राम पंचायत/शहरी निकाय का नाम.....

तहसील.....

प्रार्थना—पत्र दर्ज करने की तिथि.....

क्र०स०	प्रार्थी का नाम व पता	प्रार्थी की जन्म तिथि	बच्चों का विवरण	
			नाम	जन्म तिथि
1				

51

अनुबन्ध-4

हिमाचल प्रदेश मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना (संशोधित) 2009

स्वीकृत प्रार्थना-पत्रों की सूची

क्र0 सं0	तहसील	पंचायत	प्रार्थी का नाम व पूर्ण पता।	प्रार्थी के बच्चों का विवरण		प्रतिवर्ष स्वीकृत कुल राशि	अवधि जब तक राशि स्वीकृत की गई।
				नाम	जन्म तिथि		
1	2	3	4	5	6	7	8

अनु.

हिमाचल प्रदेश मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना (संशोधित) 2009
व्यक्तिगत बही खाता

रवीकृति संख्या दिनांक

व्यक्ति गत खाता संख्या

नाम जाति पिता/पति का नाम ग्राम

डा. पिन कोड तहसील जिला

आश्रित बच्चों के नाम	जन्म तिथि	18 वर्ष पूर्ण होने की तिथि ।

सहायता राशि अदायगी विवरण

बचत खाता संख्या: बैंक/डाकघर शाखा

कठ सं०	बचत खाता में जमा की गई राशि का विवरण ।			
	अवधि	चैंक/ड्राफट सं०	दिनांक	राशि

अनुबन्ध-6

हिमाचल प्रदेश मंदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना (संशोधित) 2009 के अन्तर्गत छः माही प्रगति रिपोर्ट

जिला का नाम: अवधि:

चालू वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित लक्ष्य	गत छः माह तक प्राप्त लक्ष्य	गत छः माह के अन्त में अपात्र मृत लाभार्थियों की संख्या	गत छः माह के अन्त में अपात्र/मृत लाभार्थियों के स्थान पर जितने नए लाभार्थी प्रतिस्थापित किए गए।	चालू छः माह के अन्त में जितने लाभार्थियों को सहायता राशि अदा की गई।	बकाया लाभार्थी जिहे राशि अदा नहीं की गई।	सहायता राशि अदा न करने के कारण।
!	बच्चे	माताएं	बच्चे	माताएं	बच्चे	माताएं

हिमाचल प्रदेश भवर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना (संशोधित) 2009 योजना के अन्तर्गत लम्बित मामलों की
प्रगति रिपोर्ट

जिला का नाम: अवधि:

गत छःमाह की अन्तिम तिथि तक लम्बित प्रार्थना पत्रों की संख्या	चालू छःमाह में प्राप्त प्रार्थना पत्रों की संख्या	कुल प्राप्त प्रार्थना पत्र (1+2)	चालू छःमाह के अन्त तक स्वीकृत प्रार्थना पत्रों की संख्या	चालू छःमाह के अन्त तक स्वीकृति उपारान्त बकाया प्रार्थना पत्रों की संख्या
1.	2.	3.	4.	5.

हिमाचल प्रदेश सरकार
विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

संख्या: एस.जे.०५०—वी—एफ(१)१/२०११—लूज

दिनांक: २५ जुन २०१४

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या: एस.जे.ई-(ए)-१०-२/२००६
दिनांक २९/०५/२००९ का कम जारी रखते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, २७/६/१४
“मदर टेरेसा अहसाय मातृ सम्बल योजना” में संलग्न अनुबन्ध—“क” के
अनुसार संशोधन करने के संहर्ष आदेश देते हैं।

यह संशोधन अधिसूचना ०१—०४—२०१४ की तिथि से लागू होगे।

आदेश द्वारा

प्रधान सचिव
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठाकान: संख्या यथोपरि।

दिनांक २५ जुन २०१४

१. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला—२
२. निजि सचिव, मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला—२
३. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश, शिमला—२
४. निजि सचिव, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
५. समर्पित जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश।
६. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिमला—१
७. नियन्त्रक, हिमाचल प्रदेश लेखन मुद्रण एवं सामग्री को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु।
८. अतिरिक्त सचिव (सा० प्र० विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—२
९. संरक्षक नहिं।

Uttaray

संयुक्त सचिव
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
हिमाचल प्रदेश सरकार।

Mother Teresa Asahay Matri Sambal Yojna अनुबन्ध—“क”

Rule 5.1.1& 5.1.2	Old Provision	New provisions applicable w.e.f. 01.04.2014.
	<p>5.1.1 पात्रता:- ग्रामीण विकास विभाग/शहरी विकास विभाग द्वारा चयनित गरीबी रेखा से नीचे रह रही निःसाहय महिलाएं जिनकी वार्षिक आय 18,000/-रु० से अधिक न हो ।</p>	<p>5.1.1 पात्रता:- ग्रामीण विकास विभाग/शहरी विकास विभाग द्वारा चयनित गरीबी रेखा से नीचे रह रही निःसाहय महिलाएं या ऐसी निःसाहय महिलाएं जिनकी वार्षिक आय 35,000/-रु० से अधिक न हो । However, it shall exclude income from MNREGA.</p>
	<p>5.1.2 ग्रामीण विकास विभाग/शहरी विकास विभाग द्वारा चयनित गरीबी रेखा से नीचे रह रहे ऐसे अनाथ बच्चों के अभिभावक जिनकी वार्षिक आय 18,000/-रु० से अधिक न हो ।</p>	<p>5.1.2 ग्रामीण विकास विभाग/शहरी विकास विभाग द्वारा चयनित गरीबी रेखा से नीचे रह रहे ऐसे अनाथ बच्चों के अभिभावक जिनकी वार्षिक आय 35,000/-रु० से अधिक न हो । However, it shall exclude income from MNREGA.</p>

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

संख्या: एस०जे०ई०-एफ-(१०)-१/२०१६-१

दिनांक:

५६/२
१७ मई, २०१८

Dated
वा० ००-५५
१८-५-१८

६/०५

~~Syed~~

Sh. B.S

Sh. B.S
for forward &
writing Director

२/१५

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या एस०जे०ई०-एफ-(१०)-२/२००६
दिनांक २९.५.२००९ एवं ०६.०५.२०१७ के कम को जारी रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल
प्रदेश “मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना (संशोधित), २००९” के
अनुबन्ध-क, के पैरा संख्या ७ (७.१) में आंशिक संशोधन करते हुए, इस योजना के तहत
दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि मु० ४०००/- रु० प्रति बच्चा, प्रति वर्ष जो दो बच्चों
तक प्रदान की जाती है, इसे बढ़ाकर मु० ५०००/- प्रति बच्चा, प्रति वर्ष दो बच्चों तक
करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह स्वीकृति वित्त विभाग के अनौपचारिक पत्र संख्या फिन (सी) बी (१५)-३/२०१६ दिनांक ११.५.२०१८ के अनुसार जारी की जाती है।
3. यह संशोधन अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगें।

आदेश द्वारा

निशा सिंह

अति० मुख्य सचिव (सा० न्याय एवं अधि०)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्या: उपरोक्त दिनांक: शिमला-०२

१७ मई, २०१८

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-०२.
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
4. प्रधान निजि सचिव मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश।
5. वरिष्ठ निजि सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हिमाचल प्रदेश।
6. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश।
7. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी, हि० प्र०।
9. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग हिमाचल प्रदेश।
10. संरक्षण नस्ति / अतिरिक्त प्रतियां।

(N
पूर्ण)

अवर सचिव (सा० न्याय एवं अधि०)
हिमाचल प्रदेश सरकार